अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय, रीवा (म.प्र.)

क्रमांक/विकास/2024/ 290 रीवा, दिनांक : 11-6-2024

प्रति,

अध्यक्ष/प्राचार्य

(1) ~~शास० महावि० 74~~

(2) ~~अशास० महावि० 176~~ को पत्र भेजा गया।

विषय :– **प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित बी.बी.ए. तथा बी.सी.ए. स्नातक पाठ्यक्रमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्रदान करने बावत्।**

सन्दर्भ :– आयुक्त, उच्च शिक्षा, म.प्र. शासन, सतपुड़ा भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक 215/162/आउशि/सम्बद्धता/2024 भोपाल, दिनांक 26–4–2024

महोदय,

उपर्युक्त संदर्भित विषयान्तर्गत लेख है कि आपके महाविद्यालय में संचालित बी.बी.ए. तथा बी.सी.ए. स्नातक पाठ्यक्रमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से मान्यता लिये जाने का संदर्भांकित पत्र प्राप्त हुआ है। सुलभ संदर्भ हेतु पत्र की छायाप्रति संलग्न कर अनुरोध है कि उक्त अनुसार कार्यवाही करायी जाना सुनिश्चित किया जाय।

संलग्न – यथोक्त

आदेशानुसार,

कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचनार्थ–

1. अधिष्ठाता, महाविद्यालयीन विकास परिषद।
2. अधिष्ठाता, छात्र कल्याण।
3. संचालक, एस.एस.पी.।
4. विभागाध्यक्ष, डिपार्टमेंट आफ कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा की ओर वेबसाइट में प्रदर्शन हेतु प्रेषित।
5. प्रभारी, एम.पी. आनलाइन, अ.प्र. सिंह विश्वविद्यालय, रीवा।
6. कुलगुरु जी के सचिव।
7. कुलसचिव के निज सहायक।

सहायक कुलसचिव (विकास)

कार्यालय आयुक्त, उच्च शिक्षा, मध्य प्रदेश शासन,
सतपुडा भवन, भोपाल–462004
ई–मेल affil-he@mp.gov.in दूरभाष कमांक– 2554763

"email"

कमांक– 215 /162/आउशि/सम्बद्वता/2024. भोपाल, दिनांक– 26/04/2024.

प्रति,

कुल सचिव,
समस्त पारम्परिक विश्वविद्यालय,
मध्यप्रदेश

विषयः–प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित बी.बी.ए. तथा बी.सी.ए. स्नातक पाठ्यकमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्रदान करने बाबत्।

—00—

प्रदेश के शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में संचालित बी.बी.ए. तथा बी.सी.ए. स्नातक पाठ्यकमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्रदान करने से संबंधित सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, (शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार) के समस्त विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों को संबोधित अर्द्धशासकीय पत्र कमांक 2–79/2023(CPP-II) दिनांक 08/01/2024 संलग्न है।

2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा देश के विश्वविद्यालयों/महाविद्यालयों में स्नातक स्तर पर संचालित प्रबंधन एवं कम्प्यूटर एप्लीकेशन को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के विनियमन के अन्तर्गत लाये जाने हेतु विश्वविद्यालयों को अपने सभी संबद्ध संस्थानों को सूचित करने का अनुरोध किया गया है।

अतः विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्यवाही का तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत करें।

संलग्न–उपरोक्तानुसार.

आयुक्त
उच्च शिक्षा, मध्यप्रदेश.

Simple Steps for Existing /New Colleges offering/intend to offer BCA/BMS/BBA programmes/courses and seeking AICTE Approval for the first time

Existing / New Colleges offering/intend to offer BCA/BMS/BBA programmes/courses (Either already offering or without programmes/courses like BA, B.Sc, B.Com, MA, M.Sc etc) seeking AICTE Approval for the first time only for BCA/BMS/BBA Programs/Courses are requested to follow the below mentioned Simple Steps to obtain AICTE Approval:

- **Step-1:** Visit NSWS website at www.nsws.gov.in and register.
- **Step-2:** After successful registration at NSWS portal, login with credentials and add AICTE approval on dashboard of NSWS portal.
- **Step-3:** Now switch to AICTE web portal by clicking on "Go to Ministry Portal" icon at NSWS Portal's dashboard.
- **Step-4:** Then you will be automatically redirected and land at home page of AICTE web portal. Now, click on "Approval Process 2024-25" icon. Screen with payment details will be opened.
- **Step-5:** Click on payment button and pay the application fee of Rs.6000/- through payment gateway.
- **Step-6:** Now, update the payment status by clicking on the Update Payment Status button. Thereafter, the application will be opened.
- **Step-7:** Fill and save the details in each of the 8 tabs in sequential manner, then click on **preview button** to view the application filled and then submit the application finally by clicking on **Submit and proceed to payment** button(under 7th tab).
- **Step-8:** Pay applicable TER charges as visible in portal through payment gateway from Payment tab(8th tab). Now, update the payment status by clicking on the **Update Payment Status** button. Thereafter, application status will be updated as **Submitted and Payment Received.**
- **Step-9:** Institute can generate the **Application Reports/Affidavit** from Attachments tab by clicking on **Reports icon.**

Note 1: Payment can be done within 7 days from submission only after the successful submission

(4)

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

(भारत सरकार का संवैधानिक निकाय)

नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली - 110070

फोन नंबर : 011-29581050, 011-29581515

सार्वजनिक सूचना : बीबीए/बीएमएस और बीसीए कार्यक्रम/पाठ्यक्रम संचालित करने वाले सामान्य डिग्री महाविद्यालयों के लिए सुविधा केंद्रों के संबंध में।

अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका 2024–27 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार, बीबीए/बीएमएस/बीसीए कार्यक्रम संचालित करने वाले सभी संस्थानों/मानित विश्वविद्यालय संस्थानों द्वारा अभातशिप से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक है। बीबीए/बीसीए/बीएमएस कार्यक्रम संचालित करने वाले विद्यमान संस्थानों को अभातशिप से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने में सहायता देने की सुविधा प्रदान करने के लिए, परिषद ने "आवेदन जमा करने हेतु शिविर" आयोजित करने के लिए देश भर में 100 सुविधा केंद्र स्थापित किए हैं। सुविधा केंद्रों की सूची, संपर्क विवरण, शिविर की तिथियाँ और आवेदनों को सफलतापूर्वक जमा करने के लिए सुविधा केंद्रों पर प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची *www.aicte-india.org* (लिंक-***https://aicte-india.org/sites/default/files/Approval_Facilitation_Centre.pdf***) पर उपलब्ध है। सभी संस्थाओं/मानित विश्वविद्यालय संस्थाओं से अनुरोध है कि वे अभातशिप की इस सुविधा का लाभ उठाएं ताकि परिषद द्वारा समय पर यह प्रक्रिया पूरी की जा सके।

इसके लिए सभी हितधारक विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार अभातशिप पोर्टल (लिंक-***https://www.aicte-india.org/bureaus/approval/approal-process-2024-25***) देख सकते हैं जोकि आवेदन प्रपत्र (फॉर्म) भरने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करने के लिए बनाया गया है/हितधारको द्वारा अभातशिप से अनुमोदन प्राप्त करने पर अभातशिप द्वारा योजनाआ/कार्यक्रमों के रूप में प्रदान किए जाने वाले लाभों को लेने के संबंध में जानकारी अभातशिप के इस पोर्टल पर देखी जा सकती है।

"केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/राज्य (सरकारी/निजी) विश्वविद्यालयों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक नहीं है, परन्तु यदि वे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की योजनाओं/कार्यक्रमों का लाभ लेना चाहते हैं तो उनके द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

प्रोफ़ राजीव कुमार
सदस्य सचिव

Advt. No: Regulation Bureau/AICTE/02(01)/2024

12x18 Cms

प्रा. मनिष र. जोशी
सचिव

Prof. Manish R. Joshi
Secretary

सत्यमेव जयते

G20 भारत 2023 INDIA

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग
University Grants Commission
(शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार)
(Ministry of Education, Govt. of India)

162/2024/24
8/4/24

D.O.No.2-79/2023(CPP-II) **8 January, 2024/ 18 पौष 1945**

Subject: Bringing UG courses in Management & Computer Applications under AICTE Regulations

Respected Madam/Sir,

As you are aware, "Technical Education" and its related aspects are controlled and governed by the All India Council for Technical Education Act, 1987. Section 2(g) of the AICTE Act defines Technical Education:

"Technical Education" means Programmes of education, Research and Training in Engineering Technology, Architecture, Town Planning, Management, Pharmacy and Applied Arts and Crafts and such other Programme (or) areas as the Central Government may, in consultation with the Council, by notification in the Official Gazette

Till date, the AICTE was regulating only the Post Graduate Programs in Management (MBA) and Computer Applications (MCA). However, from next academic year, AICTE has decided to regulate institutions offering BBA, BMS & BCA courses in view of maintaining uniform quality & academic standards across Management and Computer Applications Programs on the similar lines of Post Graduate Courses/Programmes (MCA/MBA).

As informed by the AICTE, approved Institutes have benefits like, Faculty Development Programs, Scholarship Schemes for students, Model Curriculum, Free access E-Books in Indian Languages through e-Kumbh Portal, Margdarshan Scheme for Institutions, PARAKH – Performance Analysis and Review for Holistic Development, etc.

The State Public Universities are requested to communicate the above information to all its affiliated institutions which are offering or intend to offer programmes/courses in BBA, BMS & BCA, for compliance.

AICTE may be contacted for further details.

With kind regards,

Yours sincerely,

(Manish Joshi)

To
The Vice-Chancellors of all the State Public Universities
The Principals of all Colleges/Institutes

वसुधैव कुटुम्बकम्